कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

(खनिज अनुभाग)

आदेश

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–599/एम0–228/2017 (खनन नीति)(iii) दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गयें आदेशों के अनुपालन में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों यथा बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन के पोर्टल **mining.up.work121.com** पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

उक्त के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर 2019 से उपखनिजो का परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार 02 सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जायेगाः–

1. समस्त वाहन स्वामी इंटरनेट पर वेबसाईट **mining.up.work121.com** पर जाएगें।
2. अपना पंजीकरण करेगें। (एक बार)
3. अपने समस्त वाहनों की पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी उक्त वेबसाईट पर भर कर उससे एक प्रिंट निकालेगें।
4. इस प्रिंट के साथ वेबसाईट पर संलग्न किये निम्न अभिलेख नत्थी कर सम्बन्धित खान अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएगे तथा प्रिंट की एक प्रति पर प्राप्ति की सूचना खान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेगें।
   (1) वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र।
   (2) वाहन स्वामी का पहचान–पत्र तथा पतें का प्रमाण–पत्र।

जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 02 सप्ताह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण कराया जाना है, जिस हेतु समस्त ट्रान्सपोर्टरों को जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं खान अधिकारी के माध्यम से अवगत कराया जाना है। विशेष जानकारी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० के मोबाइल नम्बर 8887534751 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः जनपद के समस्त ट्रान्सपोर्टरों को सहायक सम्भागी परिवहन अधिकारी एवं खान अधिकारी के माध्यम से अवगत कराते हुए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप उपखनिजों के परिवहन वाले वाहनों के पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

संख्याः 257/तीस–उपखनिज/2019 दिनांकः 26 जुलाई, 2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, भू तत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), चन्दौली को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर जनपद–चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि जनपद में संचालित ट्रान्सपोर्टरों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
6. खान अधिकारी, चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. सहायक, सम्भागीय परिवहन अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि पंजीयन की कार्यवाही किये जाने हेतु एन0आइ0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना अधिकारी को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
10. खनन पट्टाधारक, जनपद–चन्दौली को इस आदेश के साथ कि सम्बन्धित वेब पोर्टल पर बिना पंजीयन कराये उपखनिजों को लोडिंग नही करायेंगे एवं पंजीयन कराये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

Scanned by CamScanner